

HINDI FILE



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 23, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

प्रश्न 1. भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सत्रिया, जो असम के सत्रों के भीतर विकसित हुआ, ऐतिहासिक रूप से श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू की गई वैष्णव धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ था।
2. कुचिपुड़ी, सत्रिया के विपरीत, पूरी तरह से एक दरबारी नृत्य परंपरा के रूप में विकसित हुआ और इसका धार्मिक या नाट्य प्रदर्शन परंपराओं के साथ कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं था।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है? (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: कथन 1 सही है। सत्रिया असम में सत्रों के संस्थागत परिवेश के भीतर विकसित हुआ, जो श्रीमंत शंकरदेव और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व वाले भक्ति आंदोलन से जुड़े वैष्णव मठवासी संस्थान थे। इसकी शुरुआती प्रदर्शन परंपरा धार्मिक अनुष्ठानों और भक्ति कथाओं से गहराई से जुड़ी हुई थी।

कथन 2 गलत है। कुचिपुड़ी का धार्मिक और नाट्य परंपराओं के साथ एक मजबूत संबंध है, विशेष रूप से भागवत मेला-जैसी प्रदर्शन परंपरा और आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से जुड़ी नृत्य-नाटक प्रथाओं से। इसके ऐतिहासिक विकास को केवल एक दरबारी परंपरा तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

अवधारणात्मक जाल यह धारणा है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से शाही दरबारों में विकसित हुए। उनमें से कई शास्त्रीय रूपों के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त करने से पहले मंदिर, मठ, भक्ति और समुदाय-आधारित प्रदर्शन परंपराओं के भीतर विकसित हुए।

प्रश्न 2. अत्यधिक मानवजनित पोषक तत्वों का इनपुट प्राप्त करने वाली मीठे पानी की झील में, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त रूप से उस प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है जो सुपोषण (eutrophication) से मछली की मृत्यु का कारण बन सकती है?

- (a) पोषक तत्वों का संवर्धन → बढ़ी हुई शैवाल उत्पादकता → जैविक पदार्थों का अपघटन → घुलित ऑक्सीजन की कमी → हाइपोक्सिक/एनोक्सिक स्थितियां
- (b) पोषक तत्वों का संवर्धन → प्राथमिक उत्पादकता में कमी → मछलियों द्वारा घुलित ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि → ऑक्सीजन अतिसंतृप्ति → मछली की मृत्यु
- (c) पोषक तत्वों का संवर्धन → घुलित ऑक्सीजन का नाइट्रेट में प्रत्यक्ष रासायनिक रूपांतरण → तापीय स्तरीकरण → गहरे पानी का स्थायी ऑक्सीजनकरण
- (d) पोषक तत्वों का संवर्धन → फाइटोप्लैंकटन का तत्काल उन्मूलन → निचले पानी में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संचय → अवायवीय अपघटन → मछली की मृत्यु

उत्तर: (a)

व्याख्या: सुपोषण में जल निकाय का पोषक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस से समृद्ध होना शामिल है, जो अक्सर कृषि अपवाह, सीवेज और अन्य मानवजनित स्रोतों के परिणामस्वरूप होता है।

अत्यधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता शैवाल और जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि को उत्तेजित कर सकती है। जब यह बायोमास मर जाता है, तो इसका सूक्ष्मजीव अपघटन घुलित ऑक्सीजन की खपत करता है। अनुकूल परिस्थितियों में, ऑक्सीजन की कमी इतनी गंभीर हो सकती है कि हाइपोक्सिया (hypoxia) या एनोक्सिया (anoxia) उत्पन्न हो जाए, विशेष रूप से जल निकाय के गहरे या कम मिश्रित हिस्सों में।

यह मछलियों और अन्य वायवीय (aerobic) जलीय जीवों के बीच तनाव या मृत्यु का कारण बन सकता है।

विकल्प (b) पोषक तत्वों के संवर्धन और प्राथमिक उत्पादकता के बीच मौलिक संबंध को उलट देता है। विकल्प (c) गलत तरीके से सुपोषण के रसायन विज्ञान का वर्णन करता है, जबकि विकल्प (d) जैविक क्रम को उलट देता है। महत्वपूर्ण यूपीएससी-स्तरीय अंतर यह है कि पोषक तत्व आमतौर पर केवल अपनी तत्काल उपस्थिति से मछलियों को नहीं मारते हैं; प्रमुख मार्ग जैविक उत्पादकता और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी के माध्यम से होता है।

प्रश्न 3. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग और पाटनरोधी (anti-dumping) तथा प्रतिकारी (countervailing) उपायों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पाटनरोधी (एंटी-डंपिंग) कार्रवाई संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बेचे जाने वाले आयात से संबंधित है, जबकि प्रतिकारी (काउंटरवेलिंग) कार्रवाई कुछ सब्सिडी वाले आयात के हानिकारक प्रभावों को संबोधित करती है।
2. पाटनरोधी शुल्क (anti-dumping duty) लगाना अनिवार्य रूप से यह स्थापित करता है कि निर्यातक देश की सरकार ने निर्यातक को सब्सिडी प्रदान की है।
3. पाटनरोधी और प्रतिकारी दोनों उपाय व्यापार-उपचार (trade-remedy) उपकरण हैं और उनका अनुप्रयोग निर्धारित जांच आवश्यकताओं के अधीन है, न कि केवल कम कीमत वाले आयात के अस्तित्व से स्वचालित रूप से चालू होता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: कथन 1 सही है। पाटनरोधी उपाय उन स्थितियों को संबोधित करते हैं जिनमें एक उत्पाद का उस कीमत पर निर्यात किया जाता है जिसे डंपिंग माना जाता है, जिसमें आमतौर पर इसके सामान्य मूल्य के साथ तुलना शामिल होती है, जबकि प्रतिकारी उपाय आयातित उत्पादों को लाभ पहुंचाने वाली कुछ सरकारी सब्सिडी के प्रभावों पर निर्देशित होते हैं।

कथन 2 गलत है। डंपिंग और सब्सिडी वैचारिक रूप से अलग हैं। एक निर्यातक सरकारी सब्सिडी प्राप्त किए बिना भी डंपिंग में संलग्न हो सकता है। इसलिए, पाटनरोधी उपाय लागू करने से सब्सिडी का अस्तित्व स्थापित नहीं होता है।

कथन 3 सही है। न तो केवल कम आयात मूल्य और न ही केवल सब्सिडी का अस्तित्व ही स्वतः ही व्यापार-उपचार उपाय को सही ठहराता है। डंपिंग/सब्सिडी, घरेलू उद्योग को क्षति और आयात तथा क्षति के बीच कारण संबंध जैसे मामलों से संबंधित प्रासंगिक जांच और निष्कर्ष व्यापार-उपचार ढांचे के महत्वपूर्ण घटक हैं।

मुख्य वैचारिक अंतर यह है:

- डंपिंग → मूल्य निर्धारण व्यवहार
- प्रतिकारी उपाय → सब्सिडी-संबंधित व्यापार विकृति

अतः कथन 1 और 3 सही हैं।

प्रश्न 4. भारत में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) की रिट किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है यदि किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया प्रतीत होता है।
2. परमादेश (Mandamus) की रिट आमतौर पर किसी निजी व्यक्ति को पूरी तरह से निजी संविदात्मक दायित्व पूरा करने के लिए बाध्य करने हेतु जारी की जा सकती है।
3. प्रतिषेध (Prohibition) की रिट अनिवार्य रूप से निवारक प्रकृति की है और किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय को अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं से परे कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए जारी की जाती है।
4. उत्प्रेषण (Certiorari) की रिट का उपयोग न केवल क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति या आधिक्य को सुधारने के लिए किया जा सकता है, बल्कि संवैधानिक सीमाओं के अधीन, किसी अधीनस्थ न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण की कार्यवाही में स्पष्ट कानून की कुछ त्रुटियों की जांच करने के लिए भी किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (c)

व्याख्या: कथन 1 सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ अदालत के समक्ष हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करने से है। इसकी सुरक्षा केवल राज्य द्वारा हिरासत तक सीमित नहीं है; उचित परिस्थितियों में, यह किसी अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने वाले निजी व्यक्ति के खिलाफ भी निर्देशित किया जा सकता है।

कथन 2 गलत है। परमादेश आमतौर पर किसी सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। यह आमतौर पर किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ पूरी तरह से निजी संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए उपलब्ध नहीं है।

कथन 3 सही है। प्रतिषेध एक निवारक रिट है। यह एक उच्च अदालत द्वारा किसी निचले न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को क्षेत्राधिकार की अधिकता या अनुपस्थिति में कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसलिए यह तब काम करता है जब कार्यवाही अभी भी लंबित होती है।

कथन 4 भी सही है। उत्प्रेषण मुख्य रूप से सुधारात्मक है और इसे किसी निचले न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के आदेश या कार्यवाही को रद्द करने के लिए जारी किया जा सकता है जहाँ क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियाँ या कानून की मान्यता प्राप्त त्रुटियाँ शामिल हैं, जो रिट क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक और न्यायिक सीमाओं के अधीन हैं।

महत्वपूर्ण अंतर यह है:

- प्रतिषेध → कार्यवाही जारी रखने से रोकता है।
- उत्प्रेषण → आमतौर पर पहले से दिए गए आदेश/कार्रवाई को रद्द करने का काम करता है।
- परमादेश → सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने का आदेश देता है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण → अवैध हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है।

इसलिए, तीन कथन सही हैं।

प्रश्न 5. निम्नलिखित अभिकथन और दो कारणों पर विचार कीजिए:

अभिकथन (A): विश्व के महाद्वीपों में अफ्रीका में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संप्रभु देशों की संख्या सबसे अधिक है। **कारण 1 (R1):** अफ्रीका का वर्तमान राजनीतिक नक्शा औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित क्षेत्रीय विभाजन और प्रशासनिक सीमाओं द्वारा काफी हद तक आकार लिया गया था। **कारण 2 (R2):** अफ्रीका का बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, अपने आप में, अनिवार्य रूप से हर दूसरे महाद्वीप की तुलना में अधिक संख्या में संप्रभु देशों में परिणत होता है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) R1 और R2 दोनों सही हैं, और दोनों A की व्याख्या करते हैं
- (b) R1 और R2 दोनों सही हैं, लेकिन केवल R1, A की व्याख्या करता है
- (c) R1 सही है, लेकिन R2 गलत है, और R1, A की व्याख्या करता है
- (d) R1 गलत है, लेकिन R2 सही है, और R2, A की व्याख्या करता है

उत्तर: (c)

व्याख्या: सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले भौगोलिक वर्गीकरण के तहत **अभिकथन सही है**, जिसमें अफ्रीका में 54 संप्रभु देश हैं, जो किसी भी महाद्वीप से जुड़ी सबसे बड़ी संख्या है।

कारण 1 सही है और एक प्रासंगिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रदान करता है। अफ्रीका का समकालीन राजनीतिक नक्शा काफी हद तक यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार, विभाजन और उसके बाद के वि-औपनिवेशीकरण (decolonisation) द्वारा आकार लिया गया था। औपनिवेशिक प्रशासनिक सीमाएं अक्सर नए स्वतंत्र राज्यों का क्षेत्रीय ढांचा बन गईं। हालांकि, अफ्रीका के वर्तमान राजनीतिक भूगोल को विशेष रूप से केवल उपनिवेशवाद के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है; पूर्व-औपनिवेशिक राजनीतिक संरचनाएं, स्वतंत्रता के बाद के विकास और अन्य ऐतिहासिक कारक भी मायने रखते हैं।

कारण 2 गलत है। भौगोलिक क्षेत्र या आकार यांत्रिक रूप से देशों की संख्या निर्धारित नहीं करता है। सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले वर्गीकरण के तहत एशिया क्षेत्रफल में अफ्रीका से बड़ा है लेकिन इसमें देश कम हैं। इसी तरह, राजनीतिक विखंडन केवल क्षेत्रफल के बजाय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, औपनिवेशिक और भू-राजनीतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।

इसलिए यह प्रश्न भौगोलिक आकार के साथ संबंध और राजनीतिक-क्षेत्रीय विखंडन की वास्तविक व्याख्या के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर का परीक्षण करता है।

इसलिए, R1 सही है, R2 गलत है, और R1 अभिकथन के लिए प्रासंगिक व्याख्या प्रदान करता है।

दैनिक अभ्यास प्रश्न – करंट अफेयर्स अनुभाग से

प्रश्न 1. "6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कॉल टू एक्शन" (Call to Action for 6G Leadership and Security) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक सरकार-से-सरकार (government-to-government) पहल है जो दूरसंचार आपूर्ति श्रृंखलाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को संबोधित करते हुए सुरक्षित, खुले, अंतर-संचालनीय (interoperable) और लचीले 6G नेटवर्क को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
2. इस पहल में भारत की भागीदारी में इसके घरेलू स्पेक्ट्रम आवंटन और दूरसंचार नीति को नियंत्रित करने वाले एक सामान्य अति-राष्ट्रीय (supranational) ढांचे को स्वीकार करना शामिल है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है? (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: कथन 1 सही है। भारत '6G नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कॉल टू एक्शन' का समर्थन करने वाले 26 देशों के अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुआ। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित, खुले, अंतर-संचालनीय और लचीले अगली पीढ़ी के दूरसंचार नेटवर्क पर समन्वय स्थापित करना है। यह विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं, साइबर सुरक्षा, ओपन आरएनएन (Open RAN) आर्किटेक्चर और अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकायों में समन्वय पर भी जोर देता है।

कथन 2 गलत है। इस पहल की एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह राष्ट्रीय नियामक स्वायत्तता का स्थान नहीं लेती है। यह ढांचा स्पष्ट रूप से स्पेक्ट्रम-आवंटन स्वायत्तता सहित प्रत्येक भागीदार देश के स्वतंत्र नीतिगत विकल्पों को सुरक्षित रखता है।

यूपीएससी का जाल प्रौद्योगिकी मानकों और सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय समन्वय को अति-राष्ट्रीय (supranational) विनियमन के साथ भ्रमित करना है। पूर्व का अर्थ अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय नियामक संप्रभुता का समर्पण नहीं है।

Dream | Dare | Deliver

प्रश्न 2. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 के तहत, छूट का विज्ञापन करने वाले एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, अन्य आवश्यकताओं के अलावा, क्या खुलासा करने की अपेक्षा की जाएगी?

- (a) प्लेटफॉर्म के मूल्य निर्धारण इतिहास की परवाह किए बिना, केवल अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और रियायती मूल्य
- (b) रियायती मूल्य और वह न्यूनतम मूल्य जिस पर उत्पाद पिछले 30 दिनों के दौरान उस प्लेटफॉर्म द्वारा पेश किया गया था
- (c) पिछले 30 दिनों के दौरान सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद का औसत बिक्री मूल्य
- (d) पिछले 30 दिनों के दौरान उत्पाद का न्यूनतम थोक खरीद मूल्य

उत्तर: (b)

व्याख्या: 2026 का संशोधन डिजिटल मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता को मजबूत करता है। जहां मूल्य में कमी या छूट का विज्ञापन किया जाता है, वहां प्लेटफॉर्म को घटाई गई कीमत और पूर्व कीमत दोनों को प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जिसमें पूर्व कीमत को प्रचार से ठीक पहले के 30 दिनों के दौरान पेश की गई सबसे कम कीमत के रूप में परिभाषित किया गया है।

इस प्रावधान का उद्देश्य संभावित रूप से भ्रामक छूट प्रथाओं को संबोधित करना है जिसमें एक कृत्रिम रूप से फुलाए गए "मूल मूल्य" को केवल इसलिए प्रदर्शित किया जाता है ताकि बाद में मूल्य में कमी वास्तव में जितनी है उससे बड़ी दिखाई दे।

अन्य विकल्प जानबूझकर वैकल्पिक बेंचमार्क पेश करते हैं—एमआरपी (MRP), उद्योग-व्यापी औसत मूल्य और थोक खरीद मूल्य—जो निर्धारित 30-दिवसीय संदर्भ तंत्र नहीं हैं।

संशोधन में प्रायोजित-खोज प्रकटीकरण (sponsored-search disclosures), खोज हेरफेर (search manipulation), डार्क-पैटर्न अनुपालन (dark-pattern compliance), शिकायत निवारण और विक्रेता/उत्पाद प्रकटीकरण जैसे अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

प्रश्न 3. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जन सेवा पुरस्कार 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संवैधानिक या वैधानिक पुरस्कार के बजाय संसद रत्न पुरस्कार मंच से जुड़ी एक नागरिक-समाज मान्यता (civil-society recognition) है।
2. प्राइम पॉइंट फाउंडेशन (Prime Point Foundation), संसद रत्न पुरस्कारों से जुड़ी जूरी समिति के साथ, इसकी स्थापना और नामांकन प्रक्रिया में शामिल है।
3. इसका दायरा विशेष रूप से सेवारत सांसदों तक ही सीमित है क्योंकि यह पुरस्कार संसद रत्न ढांचे के भीतर उत्पन्न हुआ था।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: कथन 1 सही है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जन सेवा पुरस्कार को संसद रत्न पुरस्कार मंच के तत्वावधान में एक नागरिक-समाज मान्यता के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए इसे किसी संवैधानिक पुरस्कार या कानून द्वारा निर्मित वैधानिक राष्ट्रीय नागरिक सम्मान के साथ भ्रमित न करना महत्वपूर्ण है।

कथन 2 सही है। यह पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और संसद रत्न पुरस्कारों की जूरी समिति से जुड़ा हुआ है। संसद रत्न ढांचे की स्थापना प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा 2010 में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सुझाव के आधार पर की गई थी।

कथन 3 गलत है। इस पुरस्कार का दायरा सांसदों से आगे बढ़ गया है। यह जनसेवा, संवैधानिक जनादेश, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के लिए नेताओं, लोक सेवकों और संस्थानों को मान्यता दे सकता है। इसलिए संस्थागत आयाम इस पुरस्कार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

प्रश्न 4. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संशोधन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के वैधानिक ढांचे के भीतर काम करता है।

2. यह भारत में काम करने वाली मार्केटप्लेस-आधारित और इन्वेंट्री-आधारित दोनों ई-कॉमर्स इकाइयों पर लागू होता है।
3. इसके लिए ई-कॉमर्स संस्थाओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) अभिसरण ढाँचे में भागीदार बनने की आवश्यकता है।
4. यह डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023 के अनुपालन के वार्षिक स्व-लेखापरीक्षा (self-audit) को पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रकटीकरण तंत्र के रूप में मानता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (c)

व्याख्या: कथन 1 सही है। 2026 का संशोधन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित है और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन करता है।

कथन 2 सही है। संशोधित ढांचा भारत में काम करने वाली मार्केटप्लेस-आधारित और इन्वेंट्री-आधारित दोनों ई-कॉमर्स इकाइयों को कवर करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नियामक दृष्टिकोण केवल मध्यस्थों के रूप में कार्य करने वाले प्लेटफार्मों तक सीमित नहीं है।

कथन 3 सही है। ई-कॉमर्स संस्थाओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) अभिसरण ढाँचे में भागीदार बनने की आवश्यकता है, जिससे प्लेटफॉर्म-स्तरीय शिकायत तंत्र को राष्ट्रीय उपभोक्ता-सहायता तंत्र से जोड़ा जा सके।

कथन 4 गलत है। संशोधन में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023 के अनुपालन के संबंध में अनिवार्य वार्षिक स्व-लेखापरीक्षा (self-audit) के साथ-साथ उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस पर अनुपालन प्रमाण पत्र के प्रमुख प्रदर्शन का प्रावधान है। इसलिए यह केवल स्वैच्छिक प्रकटीकरण तंत्र नहीं है।

इसलिए, तीन कथन सही हैं।

प्रश्न 5. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक ESA अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य जैसे कानूनी रूप से अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) का पर्याय है।
2. किसी क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील के रूप में नामित करने का उपयोग संभावित प्रतिकूल पारिस्थितिक परिणामों वाली गतिविधियों को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए एक नियामक तंत्र के रूप में किया जा सकता है।
3. पारिस्थितिक संवेदनशीलता की पहचान में जैव विविधता, परिदृश्य कनेक्टिविटी, नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय गतिविधियों के संचयी प्रभाव जैसे कारकों पर विचार शामिल हो सकता है।
4. ESA अधिसूचना अनिवार्य रूप से अधिसूचित क्षेत्र के भीतर मानव गतिविधि के हर रूप को प्रतिबंधित करती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (b)

व्याख्या: कथन 1 गलत है। एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्र का पर्याय नहीं है। ESA एक नियामक श्रेणी है जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण या नाजुक क्षेत्रों के आसपास पर्यावरण संरक्षण की एक अतिरिक्त परत प्रदान करना है।

कथन 2 सही है। ESA के रूप में नामित करने का उद्देश्य उन गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करना है जिनका महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रभाव हो सकता है। इसलिए यह दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से मानवीय गतिविधि के पूर्ण बहिष्कार वाला नहीं है।

कथन 3 सही है। पारिस्थितिक संवेदनशीलता का आकलन कई मापदंडों के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें जैव विविधता मूल्य, पारिस्थितिक नाजुकता, परिदृश्य की विशेषताएं, वन्यजीव आवास, कनेक्टिविटी और विकास के संभावित संचयी प्रभाव शामिल हैं।

कथन 4 गलत है। ESA विनियमन का स्वाभाविक रूप से यह अर्थ नहीं है कि सभी मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। अधिसूचना और लागू नियामक ढांचे के आधार पर, कुछ गतिविधियाँ प्रतिबंधित हो सकती हैं, अन्य विनियमित हो सकती हैं, और कुछ शर्तों के अधीन अनुमत हो सकती हैं।

इसलिए वैचारिक अंतर यह है:

- संरक्षित क्षेत्र (Protected area) → एक विशिष्ट वैधानिक संरक्षण व्यवस्था के माध्यम से संरक्षण
- ESA → पारिस्थितिक संवेदनशीलता-आधारित नियामक ओवरले/प्रतिबंध

अतः केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

प्रश्न 6. लिपुलेख दर्रे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है।
2. यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और व्यास घाटी से जुड़ा हुआ है।
3. यह तिब्बती क्षेत्र की ओर एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हुआ है।
4. दर्रे की भौगोलिक संवेदनशीलता आंशिक रूप से काली नदी के उद्गम और प्रवाह से संबंधित भारत-नेपाल विवाद से जुड़ी हुई है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (d)

व्याख्या: सभी चारों कथन सही हैं।

लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं क्षेत्र के भीतर और व्यास घाटी से जुड़ा एक उच्च उंचाई वाला हिमालयी दर्रा है। यह तिब्बत के पुरंग (तकलाकोट) क्षेत्र की ओर एक महत्वपूर्ण भूमिगत संबंध प्रदान करता है।

यह दर्रा लंबे समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हुआ है, जो इसे धार्मिक के साथ-साथ रणनीतिक महत्व भी देता है। यह ऐतिहासिक रूप से एक सीमा पार व्यापार मार्ग के रूप में भी कार्य करता रहा है।

इसकी भू-राजनीतिक संवेदनशीलता आंशिक रूप से भारत और नेपाल के बीच कालापानी-लिपुलेख-लिम्पियाधुरा विवाद से उत्पन्न होती है। एक केंद्रीय मुद्दा काली नदी के उद्गम की व्याख्या से संबंधित है, जिसमें भारत और नेपाल इसके स्रोत के स्थान और इसके परिणामस्वरूप सीमा संरक्षण के संबंध में अलग-अलग रुख बनाए रखते हैं।

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I — कला एवं संस्कृति

प्रश्न 1. भारत में शास्त्रीय नृत्य परंपराएं केवल आंदोलन की संहिताबद्ध तकनीकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि जटिल प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनमें पौराणिक कथाएं, क्षेत्रीय परंपराएं, संगीत, भाषा और संस्थागत संरक्षण आपस में क्रिया करते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

भारतीय शास्त्रीय नृत्य को केवल औपचारिक रूप से संहिताबद्ध शारीरिक मुद्राओं और गतियों के संग्रह के रूप में नहीं समझा जा सकता है। यह एक जटिल सांस्कृतिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें धर्म, पौराणिक कथाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, संगीत, पोशाकें, संस्थान और ऐतिहासिक संरक्षण सदियों से परस्पर क्रिया करते रहे हैं। इसलिए, शास्त्रीय नृत्य रूपों की विविधता एक साझा अखिल भारतीय सौंदर्यशास्त्र शब्दावली (aesthetic vocabulary) और मजबूत क्षेत्रीय पहचान दोनों को दर्शाती है।

कई भारतीय नृत्य परंपराओं की वैचारिक नींव का पता 'नाट्यशास्त्र' से लगाया जा सकता है, जो अभिनय, रस, भाव, हस्तमुद्रा और गति को शामिल करने वाला एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है। हालांकि, विभिन्न नृत्य रूपों का वास्तविक विकास किसी एकल पाठ के यांत्रिक अनुप्रयोग के बजाय विविध क्षेत्रीय परंपराओं के माध्यम से हुआ।

उदाहरण के लिए, **भरतनाट्यम** तमिलनाडु के सांस्कृतिक परिवेश में विकसित हुआ और ऐतिहासिक रूप से मंदिरों तथा देवदासी भक्ति परंपराओं से इसका मजबूत संबंध था। इसका प्रदर्शन-संग्रह (repertoire), अभिनय और संगीतमय ढांचा दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।

इसके विपरीत, **कथक** का विकास उत्तरी भारत में कथावाचक परंपराओं, मंदिर परंपराओं और बाद में दरबारी संरक्षण के परस्पर प्रभाव से हुआ। इसका विकास यह दर्शाता है कि जब कोई नृत्य रूप विभिन्न संस्थागत परिवेशों में स्थानांतरित होता है, तो वह कैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर सकता है।

ओडिसी नृत्य, मंदिर की मूर्तियों और ओडिशा की भक्ति परंपराओं के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। इसकी विशिष्ट मुद्राएं (जैसे त्रिभंग) और गतियां मंदिरों में पाई जाने वाली मूर्तिकला निरूपण के साथ दृश्य समानताएं रखती हैं।

कुचिपुड़ी का विकास आंध्र प्रदेश में हुआ और यह ऐतिहासिक रूप से नृत्य-नाटक परंपराओं और वैष्णव विषयों से जुड़ा रहा है। इसी तरह, **सत्रिया** का विकास असम के सत्रों (मठों) के भीतर श्रीमंत शंकरदेव से जुड़ी वैष्णव भक्ति परंपरा के तहत हुआ।

इस प्रकार, शास्त्रीय नृत्य क्षेत्रीय स्मृति का एक भंडार भी है। भाषा गीतों की पाठ्य सामग्री निर्धारित करती है; स्थानीय संगीत परंपराएं संगत को प्रभावित करती हैं; पोशाकें क्षेत्रीय सौंदर्यशास्त्र को दर्शाती हैं; और पौराणिक कथाएं कथा सामग्री प्रदान करती हैं।

साथ ही, ये परंपराएं काफी सांस्कृतिक अंतःक्रिया को प्रदर्शित करती हैं। आधुनिक शास्त्रीय नृत्य को संस्थागतीकरण, मंच प्रदर्शन, अकादमियों, सांस्कृतिक संगठनों और राष्ट्रीय मान्यता द्वारा भी आकार दिया गया है। नतीजतन, किसी शास्त्रीय नृत्य का समकालीन रूप उसके ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भ से काफी भिन्न हो सकता है।

इसलिए "शास्त्रीय" की अवधारणा को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक नृत्य रूप प्राचीन काल से अपरिवर्तित रहा है। इसके बजाय, शास्त्रीय परंपराएं निरंतर पुनर्निर्माण, संहिताकरण और पुनर्व्याख्या से गुजरी हैं।

निष्कर्ष:

भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक साथ क्षेत्रीय और अखिल भारतीय दोनों हैं। उनके सामान्य सौंदर्य सिद्धांत एक व्यापक सभ्यतागत निरंतरता का निर्माण करते हैं, जबकि उनके विशिष्ट इतिहास भारत की भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता को संरक्षित करते हैं। इसलिए उनका महत्व केवल तकनीकी कोरियोग्राफी में नहीं बल्कि पीढ़ियों से सांस्कृतिक स्मृति को प्रसारित करने की उनकी क्षमता में निहित है।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — भारत का निर्वाचन आयोग

प्रश्न 2. भारत के निर्वाचन आयोग के पास व्यापक संवैधानिक अधिकार हैं, फिर भी चुनावी प्रबंधन की प्रभावशीलता संस्थागत विश्वसनीयता, स्वतंत्रता और कथित निष्पक्षता पर निर्भर करती है जिसके साथ इस तरह के अधिकार का प्रयोग किया जाता है। आयोग की शक्तियों के संवैधानिक आधार की चर्चा कीजिए तथा चुनावी प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने में शामिल प्रमुख संस्थागत चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रतिनिधि लोकतंत्र की संस्थागत नींव बनाते हैं। इसलिए संविधान ने चुनाव कराने का काम पूरी तरह से कार्यपालिका (सरकार) पर छोड़ने के बजाय एक स्वतंत्र भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की स्थापना की।

अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है।

संवैधानिक संरचना आयोग को कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपती है। यह चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करता है, चुनावी प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, लागू ढांचे के तहत चुनाव चिह्न आवंटित करता है, और निर्दिष्ट मामलों में सलाहकार तथा अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। आयोग चुनाव अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर सकता है और प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर (level playing field) बनाए रखने के लिए उपाय कर सकता है।

आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) एक और महत्वपूर्ण उपकरण है। यद्यपि यह किसी सामान्य कानून के समान नहीं है, फिर भी ECI अनुच्छेद 324 से महत्वपूर्ण नियामक अधिकार प्राप्त करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया की निष्पक्षता को नुकसान न पहुंचाए। आयोग स्वयं अनुच्छेद 324 को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से संबंधित अपने निर्देशों का संवैधानिक आधार मानता है।

हालांकि, केवल संवैधानिक शक्ति संस्थागत विश्वसनीयता की गारंटी नहीं देती है।

1. **नियुक्तियां और संस्थागत स्वतंत्रता:** निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका संस्थागत स्वायत्तता के प्रति जनता की धारणा को प्रभावित कर सकता है। एक विश्वसनीय चुनावी संस्थान को न केवल कानून में स्वतंत्र होना चाहिए, बल्कि उसे पक्षपातपूर्ण प्रभाव से पर्याप्त रूप से मुक्त भी माना जाना चाहिए।
2. **जटिल चुनावी माहौल:** आयोग अत्यधिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया, दुष्प्रचार (misinformation), अभियान व्यय और तेजी से जटिल होती संचार रणनीतियों से युक्त माहौल में काम करता है। यह समान अवसर बनाए रखने में चुनौतियां पैदा करता है।
3. **नियमन और राजनीतिक स्वतंत्रता का संतुलन:** आयोग को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ नियमन का संतुलन बनाना होगा। अत्यधिक हस्तक्षेप राजनीतिक अभिव्यक्ति के संबंध में चिंताएं पैदा कर सकता है, जबकि अपर्याप्त हस्तक्षेप चुनावी निष्पक्षता को कमजोर कर सकता है।
4. **समानता और पारदर्शिता:** चुनावी विवादों में निरंतरता और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। यदि जनता का विश्वास बनाए रखना है, तो समान उल्लंघनों पर आयोग की प्रतिक्रियाएं भी सुसंगत होनी चाहिए।
5. **अन्य संस्थानों पर निर्भरता:** चुनावी अखंडता ECI के अलावा अन्य संस्थानों पर भी निर्भर करती है, जिनमें अदालतें, राजनीतिक दल, मीडिया, नागरिक समाज, चुनाव अधिकारी और मतदाता शामिल हैं।

आगे का रास्ता:

संस्थागत विश्वसनीयता को निम्नलिखित के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है:

- पारदर्शी नियुक्ति और संस्थागत प्रक्रियाएं;
- तर्कसंगत और सार्वजनिक रूप से सुलभ आदेश;
- चुनावी नियमों का सुसंगत प्रवर्तन;
- शिकायतों और उनके निपटारे के संबंध में अधिक पारदर्शिता;
- मजबूत तकनीकी और साइबर सुरक्षा उपाय;
- उन्नत मतदाता शिक्षा;
- चुनावी विवादों का समयबद्ध निर्णय;
- और हितधारकों के साथ निरंतर परामर्श।

निष्कर्ष:

ECI की संवैधानिक स्थिति चुनावी अखंडता के लिए संस्थागत आधार प्रदान करती है, लेकिन वैधता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि उस अधिकार का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक प्रभावी चुनाव-प्रबंधन संस्थान को संवैधानिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता, निरंतरता और सार्वजनिक जवाबदेही को जोड़ना चाहिए। उद्देश्य केवल समय पर चुनाव कराना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धी चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय मानें।

प्रश्न 3. मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को अक्सर व्यापार उदारीकरण के साधनों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उनके विकासात्मक परिणाम शुल्क रियायतों (tariff concessions) की संरचना, उत्पत्ति के नियमों (rules of origin), मानकों, घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता और संवेदनशील क्षेत्रों की समायोजन क्षमता पर निर्भर करते हैं। भारत की उभरती हुई FTA रणनीति के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) ऐसे समझौते हैं जिनके माध्यम से भाग लेने वाले देश टैरिफ को कम या समाप्त करके और गैर-टैरिफ बाधाओं, सेवाओं, निवेश और नियामक मुद्दों को संबोधित करके एक-दूसरे को तरजीही बाजार पहुंच (preferential market access) प्रदान करते हैं। भारत के लिए, FTAs घरेलू उत्पादन को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) के साथ एकीकृत करने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं।

हालांकि, किसी FTA के विकासात्मक प्रभाव का मूल्यांकन केवल टैरिफ में नाममात्र की कमी से नहीं किया जा सकता है।

संभावित लाभ:

1. **बाजार पहुंच:** कम टैरिफ भारतीय उत्पादों को भागीदार बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं और संभावित रूप से निर्यात बढ़ा सकते हैं।
2. **विदेशी निवेश को बढ़ावा:** FTAs विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब भागीदार देशों के बाजारों तक तरजीही पहुंच मौजूद होती है, तो कंपनियां भारत को एक निर्यात आधार के रूप में उपयोग करने के लिए यहां उत्पादन स्थापित कर सकती हैं।
3. **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी:** आधुनिक विनिर्माण में अक्सर अंतिम उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले इनपुट कई सीमाओं को पार करते हैं। इसलिए कम व्यापार बाधाएं उत्पादन नेटवर्क की दक्षता में सुधार कर सकती हैं।
4. **उत्पादकता में सुधार:** FTAs घरेलू फर्मों को उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता मानकों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के संपर्क में आने से दक्षता का दबाव बनता है।

संभावित जोखिम:

1. **घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव:** टैरिफ में कमी से संवेदनशील घरेलू उत्पादक अधिक आयात प्रतिस्पर्धा के संपर्क में आ सकते हैं। छोटे उद्यमों और श्रम-गहन क्षेत्रों के पास तेजी से समायोजित होने के लिए तकनीकी या वित्तीय क्षमता नहीं हो सकती है।
2. **व्यापार मोड़ प्रभाव (Trade Diversion):** तरजीही टैरिफ आयात को FTA भागीदार की ओर मोड़ सकते हैं, भले ही कोई गैर-सदस्य देश अधिक कुशल उत्पादक हो।
3. **उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin):** प्रभावी उत्पत्ति नियमों के बिना, किसी तीसरे देश के सामान FTA भागीदार के माध्यम से भारत में प्रवेश कर सकते हैं और तरजीही उपचार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे घरेलू उत्पादकों और टैरिफ नीति को नुकसान पहुंच सकता है।
4. **गैर-टैरिफ बाधाएं (Non-Tariff Barriers):** जहां टैरिफ कम हैं, वहां भी भारतीय निर्यातकों को तकनीकी मानकों, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं, प्रमाणन प्रक्रियाओं, लेबलिंग नियमों, पर्यावरण आवश्यकताओं और जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, एक FTA स्वचालित रूप से निर्यात वृद्धि उत्पन्न नहीं करता है।

भारत की रणनीतिक दुविधा:

भारत को तीन उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना है: **उपभोक्ता कल्याण + घरेलू औद्योगिक विकास + निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता।**

आयात शुल्कों में बड़ी कटौती से कम कीमतों के माध्यम से उपभोक्ताओं को लाभ हो सकता है, लेकिन यदि घरेलू उत्पादन क्षमता नष्ट हो जाती है, तो दीर्घकालिक औद्योगिक विकास प्रभावित हो सकता है। इसके विपरीत, अत्यधिक संरक्षण अकुशल फर्मों को बचा सकता है और भारतीय उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने से रोक सकता है।

इसलिए, एक FTA की प्रभावशीलता पूरक घरेलू नीतियों पर निर्भर करती है जिसमें शामिल हैं: लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, कौशल विकास, गुणवत्ता प्रमाणन, ऋण तक पहुंच, तकनीकी उन्नयन, सीमा शुल्क दक्षता और उत्पादन-जुड़ी औद्योगिक नीतियां (PLI)।

FTA समीक्षा तंत्र:

भारत को मौजूदा समझौतों की व्यवस्थित निगरानी पर भी जोर देना चाहिए। केवल व्यापार संतुलन पूरा मूल्यांकन प्रदान नहीं कर सकता। संकेतकों में शामिल होने चाहिए: निर्यात विविधीकरण, घरेलू मूल्य संवर्धन, रोजगार, एमएसएमई भागीदारी, निवेश प्रवाह, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टैरिफ प्राथमिकताओं का उपयोग और क्षेत्र-विशिष्ट समायोजन लागत।

निष्कर्ष:

इसलिए किसी FTA को केवल टैरिफ में कटौती करने वाले समझौते के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके विकासात्मक परिणाम उस व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करते हैं जिसके भीतर व्यापार उदारीकरण संचालित होता है। भारत के लिए, सफल FTAs के लिए विदेशों में रणनीतिक बातचीत और घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने वाले सुधारों के संयोजन की आवश्यकता होती है। उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार पहुंच का उपयोग घरेलू उत्पादक क्षमता को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, न कि आयात उदारीकरण और निर्यात विस्तार को अपने आप में साध्य मानना।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र IV — नीतिशास्त्र (Ethics)

प्रश्न 4. "लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का परीक्षण तब नहीं होता जब नियमों का अभाव हो, बल्कि तब होता है जब किसी लोक सेवक को किसी नियम के वैदिक अनुपालन और उस नियम के पीछे के व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य के बीच चयन करना होता है।" चर्चा कीजिए। क्या प्रशासनिक विवेक (administrative discretion) बिना मनमाना बने नैतिक हो सकता है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

सत्यनिष्ठा (Integrity) लोक प्रशासन के मूलभूत मूल्यों में से एक है क्योंकि लोक सेवक नागरिकों की ओर से अधिकार का प्रयोग करते हैं और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। हालांकि, सत्यनिष्ठा को कभी-कभी संकीर्ण रूप से नियमों के सख्त पालन के रूप में समझा जाता है। ऐसा नियम-आधारित दृष्टिकोण अधूरा है। कानून प्रशासनिक कार्रवाई का ढांचा प्रदान करता है, जबकि नीतिशास्त्र वह नैतिक दिशा प्रदान करता है जिसके साथ उस ढांचे को लागू किया जाता है।

एक कल्याणकारी योजना पर विचार करें जिसके तहत एक बुजुर्ग लाभार्थी पात्र है, लेकिन तकनीकी दस्तावेज की आवश्यकता के कारण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। एक अधिकारी यांत्रिक रूप से आवेदन को अस्वीकार कर

सकता है और प्रक्रियात्मक शुद्धता का दावा कर सकता है। हालांकि, यदि अधिकारी के पास वैकल्पिक साक्ष्यों के माध्यम से सत्यापन की सुविधा प्रदान करने का कानूनी विवेक है, तो उस विवेक का उपयोग करने से कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर ढंग से पूरा हो सकता है। यह नियम अनुपालन और नियम के उद्देश्य के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है।

क्या विवेक (Discretion) नैतिक है?

प्रशासनिक विवेक नैतिक हो सकता है जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

1. **वैधानिकता:** विवेक वैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा करने का लाइसेंस नहीं बन सकता।
2. **पारदर्शिता:** विवेक का प्रयोग करने के कारणों को स्पष्ट करने और रिकॉर्ड करने योग्य होना चाहिए।
3. **निरंतरता:** समान परिस्थितियों में आमतौर पर समान उपचार होना चाहिए।
4. **आनुपातिकता (Proportionality):** प्रशासनिक कार्रवाई से वांछित वैध उद्देश्य के संबंध में अत्यधिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए।
5. **जनहित:** विवेक को व्यक्तिगत, राजनीतिक या वित्तीय हितों के बजाय वैध सार्वजनिक उद्देश्यों की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए।

विवेक के नैतिक खतरे:

विवेक तब मनमाना बन सकता है जब निर्णय:

- चुनिंदा रूप से लागू किए जाएं;
- राजनीतिक रूप से प्रेरित हों;
- व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर आधारित हों;
- भेदभावपूर्ण हों;
- अपारदर्शी हों;
- या वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों द्वारा असमर्थित हों।

उदाहरण के लिए, एक प्रभावशाली नागरिक के लिए दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को शिथिल करना और समान रूप से वंचित नागरिकों को वही छूट देने से मना करना एक नैतिक विफलता होगी, भले ही अधिकारी विवेक का प्रयोग करने का दावा करे। इस प्रकार, करुणा और निष्पक्षता को एक साथ काम करना चाहिए।

विरोधी दबावों के तहत सत्यनिष्ठा:

लोक सेवकों को राजनीतिक वरिष्ठों, सहयोगियों, ठेकेदारों या प्रभावशाली नागरिकों से भी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। सत्यनिष्ठा के लिए **वैध निर्देश और अनुचित प्रभाव** के बीच अंतर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एक नैतिक प्रशासक को संदिग्ध निर्देशों को दर्ज करना चाहिए, जहां आवश्यक हो लिखित स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, और व्यक्तिगत टकराव या मनमानी इनकार के माध्यम से जवाब देने के बजाय स्थापित संस्थागत तंत्र का उपयोग करना चाहिए।

नैतिक निर्णय लेने का ढांचा:

एक नैतिक दुविधा का सामना करने वाला लोक सेवक पूछ सकता है:

- क्या प्रस्तावित कार्रवाई कानूनी रूप से स्वीकार्य है?
- नियम का उद्देश्य क्या है?
- किसे लाभ होता है और कौन लागत वहन करता है?
- क्या सार्वजनिक रूप से प्रकट किए जाने पर वही निर्णय बचाव योग्य होगा?
- क्या समान स्थिति वाले नागरिकों को तुलनीय उपचार मिलेगा?
- क्या कोई कम प्रतिबंधात्मक विकल्प मौजूद है?
- क्या यह कार्रवाई संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखती है?

निष्कर्ष:

इसलिए सत्यनिष्ठा न तो अंधा अनुपालन है और न ही अनियंत्रित करुणा। यह सैद्धांतिक निर्णय के अनुसार कानूनी अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता है। नैतिक विवेक तब संभव है जब वह पारदर्शी, तर्कसंगत, आनुपातिक, सुसंगत और जनहित की ओर निर्देशित हो। आदर्श प्रशासक नियमों और नीतिशास्त्र के बीच चयन नहीं करता है; बल्कि, प्रशासक नियमों की व्याख्या और उन्हें इस तरह से लागू करता है जो कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए उनके वैध सार्वजनिक उद्देश्य को आगे बढ़ाता है।

समसामयिक मामले — ब्रिक्स का चेन्नई घोषणापत्र

प्रश्न 5. ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनाया गया 'चेन्नई घोषणापत्र' अनुसंधान, बुनियादी ढांचे, प्रतिभा गतिशीलता और उभरती प्रौद्योगिकियों में ब्रिक्स सहयोग को इरादों की घोषणाओं से संस्थागत सहयोग की ओर ले जाने के प्रयास को दर्शाता है। भारत की विज्ञान कूटनीति (science diplomacy) और ग्लोबल साउथ के लिए इसके महत्व का परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 2026 में आयोजित 14वीं ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनाया गया 'चेन्नई घोषणापत्र' (जिसे 'चेन्नई सहमति' भी कहा जाता है), विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान बुनियादी ढांचे और नवाचार में ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करता है। यह घोषणापत्र ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के केंद्र में मानव-केंद्रित और मानवता-प्रथम दृष्टिकोण रखता है।

राजनीतिक समूह से ज्ञान साझेदारी की ओर:

ब्रिक्स ने पारंपरिक रूप से अपने आर्थिक और भू-राजनीतिक आयामों के कारण ध्यान आकर्षित किया है। चेन्नई घोषणापत्र एक और परत जोड़ता है: ज्ञान और तकनीकी सहयोग। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी क्षमताएं आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता, रणनीतिक स्वायत्तता और सतत विकास के लिए तेजी से केंद्रीय बनती जा रही हैं। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग एक ऐसा तंत्र बन सकता है जिसके माध्यम से ब्रिक्स देश केवल राजनयिक भागीदार रहने के बजाय सामूहिक क्षमताओं का निर्माण करते हैं।

अनुसंधान बुनियादी ढांचा:

एक महत्वपूर्ण घटक ब्रिक्स ग्रेन (BRICS GRAIN — Global Research Advanced Infrastructure Network) को मजबूत करना है, जो प्रमुख अनुसंधान सुविधाओं, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, शोधकर्ता गतिशीलता और क्षमता

निर्माण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। विकासशील देशों के लिए, महंगा वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा एक बड़ी बाधा का प्रतिनिधित्व करता है। साझा सुविधाएं संभावित रूप से दोहराव को कम कर सकती हैं और भागीदार देशों के शोधकर्ताओं को उन क्षमताओं तक पहुंचने की अनुमति दे सकती हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित करना व्यक्तिगत देशों के लिए कठिन हो सकता है।

प्रतिभा गतिशीलता (Talent Mobility):

अनुसंधान सहयोग न केवल प्रयोगशालाओं पर बल्कि वैज्ञानिक समुदायों पर भी निर्भर करता है। शोधकर्ता गतिशीलता, अकादमिक आदान-प्रदान और सहयोगी परियोजनाएं संस्थानों के बीच दीर्घकालिक नेटवर्क बनाने में मदद कर सकती हैं। भारत के लिए, यह अवसर पैदा करता है:

- वैज्ञानिक साझेदारियों को मजबूत करना;
- भारतीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क से जोड़ना;
- सहयोगी अनुसंधान को आकर्षित करना;
- विशेष बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार करना;
- और मानव पूंजी का विकास करना।

अग्रणी प्रौद्योगिकियां (Frontier Technologies):

घोषणापत्र जिम्मेदार अग्रणी प्रौद्योगिकियों पर भी जोर देता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और उन्नत सामग्रियां जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां विकासात्मक अवसरों और शासन संबंधी चुनौतियों दोनों को जन्म देती हैं। इसलिए "मानव-केंद्रित विकास" वाक्यांश महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रगति का इलाज केवल कम्प्यूटेशनल या औद्योगिक क्षमता में वृद्धि के रूप में नहीं किया जाता है; यह पहुंच, स्थिरता और मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है।

ग्लोबल साउथ आयाम:

चेन्नई सहमति ग्लोबल साउथ, युवा नवप्रवर्तकों और सहयोगी अनुसंधान को ब्रिक्स एसटीआई एजेंडे के केंद्र में रखती है। यह संभावित महत्व रखता है क्योंकि विकासशील देश सामान्य चुनौतियों का सामना करते हैं जिनमें शामिल हैं:

- खाद्य सुरक्षा;
- जन स्वास्थ्य;
- जलवायु परिवर्तन;
- जल सुरक्षा;
- स्वच्छ ऊर्जा;
- डिजिटल समावेशन;
- और आपदा लचीलापन।

सहयोगी अनुसंधान इन समस्याओं को बहुत भिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भों के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से भरोसा करने के बजाय स्थानीय रूप से प्रासंगिक तकनीकी समाधानों के माध्यम से संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

चुनौतियां:

हालांकि, वैज्ञानिक सहयोग को संस्थागत रूप देना कठिन है। ब्रिक्स देश निम्नलिखित में काफी भिन्न हैं:

- अनुसंधान क्षमता;
- बौद्धिक संपदा व्यवस्थाएं;
- फंडिंग प्रणाली;
- नियामक संरचनाएं;
- तकनीकी प्राथमिकताएं;
- भू-राजनीतिक हित।

इसलिए संयुक्त घोषणापत्रों को कार्यान्वयन तंत्र, अनुमानित वित्तपोषण, खुले अनुसंधान नेटवर्क और स्पष्ट बौद्धिक संपदा व्यवस्था की आवश्यकता है। यह जोखिम भी है कि तकनीकी सहयोग प्रमुख संस्थानों के बीच केंद्रित रह सकता है जबकि छोटे विश्वविद्यालय और शोधकर्ता हाशिए पर बने रह सकते हैं।

भारत का अवसर:

भारत के लिए, चेन्नई घोषणापत्र विज्ञान कूटनीति को विकास कूटनीति से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। भारत अपने अनुसंधान संस्थानों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के अनुभव, अंतरिक्ष क्षमताओं, जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र और बढ़ते नवाचार क्षेत्र का उपयोग साथी ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोगी परियोजनाएं विकसित करने के लिए कर सकता है।

निष्कर्ष:

चेन्नई घोषणापत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मुख्य रूप से एक घोषणात्मक अभ्यास से साझा बुनियादी ढांचे, शोधकर्ताओं, ज्ञान और नवाचार के अधिक नेटवर्क वाले पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने का प्रयास करता है। इसका दीर्घकालिक मूल्य अंततः स्वयं घोषणापत्र पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इसकी प्रतिबद्धताएं निरंतर वित्तपोषण, संस्थागत साझेदारी, शोधकर्ता गतिशीलता और ग्लोबल साउथ प्राथमिकताओं को संबोधित करने वाली व्यावहारिक प्रौद्योगिकियों को उत्पन्न करती हैं।